न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 23/2012

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. पवन कुमार पुत्र उमेशचन्द
2. दिनेशचन्द पुत्र सुरेशचन्द
जाति ब्राह्मण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा।

.. अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 29.02.2012 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम पवन कुमार वगै0 मु0नं0 325/2011 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्रीविनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक:23.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार महवा जिला दौसा के यहा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई थी कि ग्राम मण्डावर मे स्थित राजकीय सिवायचक किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नं0 609 रकबा 0.14 है0 भूमि पर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिस पर अपीलांट्स को नोटिस दिया गया। अपीलांट्स ने जबाव दिया किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जबाव को देखे व अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड को देखे बिना व अन्य न्यायालयों की आदेशों की अवहेलना करके विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 29.02.2012 को अपीलांट्स को भूमि से बेदखल एवं पेनल्टी के दण्ड से दण्डित कर दिया। तहसीलदार महवा के उक्त आदेश दिनांक 29.02.2012 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स का खसरा नं0 609 की भूमि पर कोई कब्जा नही है। बल्कि सेटलमेंट ने अपीलांट्स की भूमि को गलत तरीके से खसरा नं0 609 मे मिलाकर गलत नक्शा बना दिया। जिसके संबंध मे दावे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा मे चल रहे है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय इस पर गौर न करके निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना व स्थगन आदेश की अनदेखी करके विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

राजस्व अपील सं0 23/2012

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अपीलांट्स द्वारा खसरा नं0 609 रकबा 2.46 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.14 है0 भूमि पर संवत 2068 मे सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2012 मे खसरा नं0 609 से संबंधित किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होना एवं उक्त सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाना जनहित मे आवश्यक होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जिस पर अतिक्रमण होने पर पटवारी हल्का द्वारा न्यायालय तहसीलदार महवा मे प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होना एवं किसी न्यायालय का स्थगन नही होना पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। दूसरी ओर अधीवक्ता अपीलांट्स द्वारा सेटलमेंट की गलती के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा मे दावे चल रहे होना व्यक्त किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार महवा द्वारा मुकदमा नं0 325/2011 उनवान सरकार बनाम पवन कुमार वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 29.02.2012 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। साथ ही प्रश्नगत भूमि से संबंधित नवसृजित तहसील मण्डावर होने से तहसीलदार मण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति से पूर्व प्रश्नगत भूमि के संबंध मे अन्य सक्षम न्यायालयों मे वाद विचाराधीन हो तो जॉच कर तदनुसार विधिसम्मत कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा